संख्या- 68 /2026/ 766 /चार-2026-2031309

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 13 मार्च, 2026**

विषय:- परेड ग्राउण्ड, प्रयागराज में दिनांक 14 मार्च, 2026 से दिनांक 23 मार्च, 2026 तक आयोजित दस दिवसीय क्षेत्रीय सरस मेले में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं मार्गव्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4640/सं0नि0-15(145)/2025-26 दिनांक 11.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिलाधिकारी, प्रयागराज के पत्र संख्या-2278/ एन0आर0एल0 अम0/मेला/2025-26, दिनांक 10 मार्च, 2026 में किये गये अनुरोध के क्रम में परेड ग्राउण्ड, प्रयागराज में दिनांक 14 मार्च, 2026 से दिनांक 23 मार्च, 2026 तक आयोजित दस दिवसीय क्षेत्रीय सरस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय व मार्गव्यय का प्रस्तावित व्यय विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किया गया है:-

क्र०	दिनांक	कलाकार का नाम	विधा	दल संख्या	मानदेय (रू0 लाख में)	किराया (रु0 लाख में)	कुल मानदेय (रू0) लाख में)
1	14 व 15 मार्च, 2026	सुश्री तृप्ति शाक्या	भजन गायन	12	3.50	-	3.50
2		सुश्री अनामिका जैन अम्बर	कवियित्री	12	5.00	0.30	5.30
3		श्री मनोज तिवारी	सुगम संगीत	5	10.00 (18% GST-1.80)	0.50	12.30
4		श्री रवि किशन	सुगम संगीत	5	10.00 (18% GST-1.80)	0.70	12.50
5		श्री कैलाश खेर	सुगम संगीत	15	40.00 (18% GST-7.20)	2.00	49.20
योग- (रूपये बयासी लाख अस्सी हजार मात्र)							82.80

2. अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा गठित समिति की दिनांक 12.03.2026 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में परेड ग्राउण्ड, प्रयागराज में दिनांक 14 मार्च, 2026 से दिनांक 23 मार्च, 2026 तक आयोजित दस दिवसीय क्षेत्रीय सरस मेले में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं मार्गव्यय के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परेड ग्राउण्ड, प्रयागराज में दिनांक 14 मार्च, 2026 से दिनांक 23 मार्च, 2026 तक आयोजित दस दिवसीय क्षेत्रीय सरस मेले में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय एवं मार्गव्यय पर होने वाले व्यय **रू0 82.20 लाख (रूपये बयासी लाख बीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान/ कलाकार के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 82,20,000.00 (रूपये बयासी लाख बीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42 अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in